

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 14/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/19

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा हाल सिरौही बनाम
(राज)

अभियुक्त :-

1. श्री हितेश पुत्र श्री अम्बालालजी कलाल (पटेल) मैसर्स – विनायक ट्रेडर्स, पटवार भवन के पास सुरवानिया, बांसवाड़ा
2. श्री आशुतोष हिरन पुत्र श्री शम्भुलाल हिरन, देहाती सेल्स, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 21-03-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल सिरौही (राज.) के द्वारा दिनांक 09-02-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 16-02-2022 को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स – विनायक ट्रेडर्स, पटवार भवन के पास सुरवानिया, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर विनायक ट्रेडर्स, पटवार भवन के पास सुरवानिया, बांसवाड़ा उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स विनायक ट्रेडर्स, पटवार भवन के पास सुरवानिया का निरीक्षण करने पर Sweet Supari (Brand- Chandan) के 65 पैकेट प्रत्येक में 60 पाउच आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए Sweet Supari (Brand- Chandan) के 16 पैक पैकेट वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 960 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा Sweet Supari (Brand- Chandan) के पैक पैकेट के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एन. नु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-948 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/82-83 दिनांक 15-03-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 216 दिनांक 07-03-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sweet Supari (Brand-Chandan)** का नमूना कोड क्रमांक **W-948** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Sweet Supari (Brand-Chandan)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13-02-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 21.03.2023 को अप्रार्थी सं. 1 तथा अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/82-83 दिनांक 15-03-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 216 दिनांक 07-03-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sweet Supari (Brand-Chandan)** का नमूना कोड क्रमांक **W-948** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
बॉसवाडा (राज.)

नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(z) के तहत मिसब्राण्डेड **Sweet Supari (Brand- Chandan)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री हितेश पुत्र श्री अम्बालालजी कलाल (पटेल) मैसर्स - विनायक ट्रेडर्स, पटवार भवन के पास सुरवानिया, बांसवाडा, श्री आशुतोष हिरन पुत्र श्री शम्भुलाल हिरन, देहाती सेल्स, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाडा को रुपये 40000/- (अक्षरे रु चालीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
बांसवाडा (राज.)